न्यायालय–सदस्य, बाईसवें मोटर दुर्घटना दावा अधिकरण, ग्वालियर, (म0प्र0)

(पीठासीन अधिकारी–आशीष दवंडे)

Registration No.	**MACC 2083/2022**
Filing No.	MACC-4886-2022
CNR No.	MP0701-023099-2022
Date of Filing	13-09-2022
Date of Registration	20-12-2022

प्रेमसिंह कुशवाह पुत्र श्री भूप सिंह कुशवाह
उम्र 53 वर्ष, व्यवसाय– स्वयं की नर्सरी,
निवासी– 10/48, कटरा वजीर कान,
कटरा वजीर चीनी का रोजा, आगरा, कुबेरपुर
आगरा, हाल निवासी–जीवाजी क्लब के पीछे,
कुलदीप नर्सरी, चेतकपुरी रोड, ग्वालियर (म.प्र.)

............आवेदक

–:: विरूद्ध ::–

1. सुनील कुमार पुत्र धर्मपाल
निवासी–डी.आर.पी.लाईन, लश्कर, ग्वालियर
(वाहन चालक डम्फर क्र. एम.पी.07–जी.ए.–5669)

2. नगर पालिका निगम, ग्वालियर द्वारा
आयुक्त नगर पालिका निगम, ग्वालियर
कार्यालय रेल्वे ओवर ब्रिज, झांसी रोड, ग्वालियर
(वाहन मालिक डम्फर क्र. एम.पी.07–जी.ए.–5669)

3. नेशनल इंश्योरेंस कंपनी लिमिटेड
द्वारा डिविजनल मैनेजर जयेन्द्रगंज,
लश्कर, ग्वालियर (म.प्र.) **.............अनावेदकगण**

आवेदक द्वारा :– श्री कुणाल शर्मा अधिवक्ता।
अनावेदक क्रं. 1 :– एकपक्षीय।
अनावेदक क्र. 2 द्वारा :– श्री संजय सिंह कुशवाह अधिवक्ता।

अनावेदक क्र. 3 द्वारा :– श्री आर. पी. तोमर अधिवक्ता।

–: अ धि नि र्ण य :–
(आज दिनांक– 24/07/2026 को पारित किया गया)

1. आवेदक द्वारा यह दावा दिनांक 21.06.2022 को महाराजा गेट रेल्वे स्टेशन रोड, जिला ग्वालियर में अनावेदक क्रमांक–1 द्वारा यान डम्फर क्रमांक एम.पी.07–जी.ए.–5669 को उतावलेपन एवं उपेक्षापूर्वक चलाने से हुई दुर्घटना में आवेदक को आई चोटों से उद्‌भूत क्षति के संबंध में प्रतिकर राशि रुपए 10,00,000/– प्राप्त करने के लिये अनावेदकगण के विरूद्ध मोटरयान अधिनियम, 1988 की धारा–166 सहपठित धारा 140 के अन्तर्गत पेश किया गया है।

2. आवेदन पत्र/दावा संक्षेप में इस प्रकार है कि दिनांक 21.06.2022 को आवेदक अपने पडोसी न्योगी की स्कूटी क्र. एम.पी. 07–एस.एच.–6156 पर बैठकर बडागांव से नर्सरी चेतकपुरी जा रहे थे। जैसे ही वे महाराजा गेट रेल्वे स्टेशन रोड के पास पहुंचे तभी डम्फर क्रमांक एम.पी.07–जी.ए.–5669 के चालक ने अपने डंफर को बड़ी तेजी व लापरवाही से चलाते हुए लाया और आवेदक की स्कूटी में जोर से टक्कर मार दी। जिससे आवेदक व स्कूटी चलाने वाला न्योगी सहित गिर पड़े और गिरने व टक्कर लगने से आवेदक के सिर, हाथ, पैर एवं शरीर के कई हिस्सों में गंभीर चोटें आई। उसके बाद आवेदक व न्योगी को राहगीरों ने उठाया और बिरला हॉस्पीटल ग्वालियर में इलाज हेतु भर्ती कराया गया।

3. आवेदन में यह भी लेख है कि बिरला अस्पताल, ग्वालियर में आवेदक का इलाज प्रारंभ किया गया एवं दुर्घटना में आवेदक को आई चोटों की जांच की गयी। उक्त घटना की रिपोर्ट पुलिस थाना गोले का मंदिर, जिला ग्वालियर में दर्ज कराई गई, जिस पर अपराध क्रमांक–396/2022 धारा 279, 337 भा.द.सं. का अपराध पंजीबद्ध किया गया। उक्त दुर्घटना से पूर्व आवेदक लगभग 53 वर्ष की स्वस्थ एवं तंदुरुस्त व्यक्ति होकर नर्सरी का कार्य करता था और उक्त कार्य से 20,000–25,000/–रुपये प्रतिमाह आय अर्जित कर अपने परिवार का भरण–पोषण करता था। आवेदक को उक्त दुर्घटना में उसके घुटने के

नीचे गंभीर चोट होने से चलने–फिरने में असमर्थ हो गया है तथा वह पूर्व की भांति अपना नर्सरी का कार्य नहीं कर पाता है। दुर्घटना में आई चोटों के कारण आवेदक को अत्यधिक शारीरिक और मानसिक कष्ट का सामना करना पड़ा व इलाज में अत्यधिक राशि व्यय की गयी, जिससे आवेदक को आर्थिक क्षति भी हुई है। घटना दिनांक को अनावेदक क्र. 1 प्रश्नगत वाहन का चालक एवं अनावेदक क्र. 2 उसका स्वामी था तथा प्रश्नगत वाहन अनावेदक क्र. 3 की बीमा कंपनी में बीमित था। इस प्रकार आवेदक, अनावेदकगण से पृथक–पृथक अथवा संयुक्त रूप से क्षतिपूर्ति धनराशि प्राप्त करने की अधिकारी है। अतः आवेदक द्वारा उसे कारित क्षति हेतु विभिन्न मदों में कुल 10,00,000/–रुपये की क्षतिपूर्ति राशि अनावेदकगण से संयुक्ततः एवं पृथकतः दिलाये जाने हेतु दावा प्रस्तुत किया गया है।

4. अनावेदक क्रमांक– 2 द्वारा दावे का लिखित कथन प्रस्तुत कर अपने विरूद्ध कारित प्रतिकूल समस्त अभिवचनों से इनकार करते हुए प्रकट किया है कि अनावेदक क्र. 2 का आवेदक के साथ हुई घटना से कोई संबंध नहीं है और न ही अनावेदक क्र. 1 ने कोई घटना कारित की है। आवेदक द्वारा मात्र क्लेम राशि प्राप्त करने के उद्देश्य से अनावेदक क्र. 2 के वाहन को असत्य रूप से आलिप्त कराया है, जिस कारण अनावेदक क्र. 2 किसी प्रकार की क्षतिपूर्ति धनराशि प्रदान करने के हेतु उत्तरदायी नहीं है। आवेदक द्वारा कथित घटना दिनांक को प्रश्नगत वाहन अनावेदक क्र. 3 की बीमा कंपनी में संपूर्ण क्षतिपूर्ति हेतु बीमित था। अतः आवेदन पत्र अनावेदक क्र. 2 के विरूद्ध सव्यय निरस्त किए।

5. अनावेदक क्रमांक–3 द्वारा दावे का लिखित कथन प्रस्तुत कर अपने विरूद्ध कारित प्रतिकूल समस्त अभिवचनों से इनकार करते हुए प्रकट किया है कि कथित दुर्घटना में अनावेदक क्र–1 वाहन डंफर क्र. एम.पी.07–जी.ए.–5669 को अनावेदक क्रमांक 2 वाहन स्वामी की सहमति से बिना वैध एवं प्रभावी ड्राईविंग लायसेंस, परमिट एवं फिटनेस के बीमा शर्तों के विपरीत चलाया जा रहा था। प्रस्तुत एफ.आई.आर के अनुसार तथाकथित घटना के समय आवेदक स्वयं वाहन स्कूटी क्रमांक एम.पी07 एस.एच. 6156 पर बैठकर जा रहा था तथा आवेदक के द्वारा हेलमेट नहीं पहना गया था एवं बिना किसी ड्रायविंग लायसेंस के अत्यन्त लापरवाहीपूर्वक वाहन चलाकर दुर्घटनाग्रस्त हुआ। धारा 134(सी)

मोटरयान अधिनियम के तहत बीमाधारक व चालक का यह वैधानिक दायित्व है कि वह बीमा कंपनी को किसी भी प्रकार की दुर्घटना होने पर बीमा पॉलिसी की प्रतिलिपि, दुर्घटना की तारीख, समय, स्थान, दुर्घटना में आहत अथवा मृत व्यक्तियों के संबंध में विशिष्टियां और चालक का ड्राइविंग लाइसेंस एवं वाहन से संबंधित दस्तावेज इत्यादि की जानकारी देते। बीमाधारक व चालक द्वारा उक्त वैधानिक उत्तरदायित्व का भी उल्लंघन किया गया है।

6. जवाब में यह भी अभिवचन हैं कि मोटरयान अधिनियम की धारा 158(6) के आज्ञात्मक प्रावधानों के पालन में पुलिस एवं वाहन स्वामी के द्वारा कथित घटना के संबंध में पुलिस रिपोर्ट की कोई प्रतिलिपि संबंधित अधिकारिता के अधिकरण को एवं अनावेदक क्रमांक–3 को विहित अवधि में नहीं भेजी गई है। इस कारण बीमा शर्तों का उल्लंघन किए जाने से अनावेदक बीमा कंपनी कोई क्षतिपूर्ति राशि अदायगी हेतु उत्तरादायी नहीं है। अतः क्लेम आवेदन अनावेदक क्र. 3 के विरूद्ध सव्यय निरस्त किये जाने का निवेदन किया गया है।

7. उभयपक्ष के अभिवचनों के आधार पर विरचित वाद प्रश्नों पर इस न्यायालय द्वारा दिये गये निष्कर्ष निम्नानुसार हैः–

क्रं.	**वादप्रश्न**	**निष्कर्ष**
1.	क्या दुर्घटना दिनांक 21.06.2022 को महाराजा गेट रेल्वे स्टेशन रोड, जिला ग्वालियर में अनावेदक क्रमांक–1 द्वारा यान डम्फर क्रमांक एम.पी.07–जी.ए.–5669 के उपयोग में कारित हुई ?	**''प्रमाणित''**
2.	क्या उक्त दुर्घटना अनावेदक क्र. 1 द्वारा उक्त यान को उपेक्षा या उतावलेपन से चलाने के फलस्वरूप कारित हुई ?	**''प्रमाणित''**
3.	क्या उक्त दुर्घटना में आई चोटो के कारण आवेदक/आहत को गंभीर प्रकृति की चोटें कारित हुई ?	**''प्रमाणित**

4.	क्या उक्त यान दुर्घटना जोखिम के लिए घटना दिनांक को बीमित था ?	**''प्रमाणित''**
5.	क्या उक्त यान को बीमा शर्तों के उल्लंघन में चलाया जा रहा था ?	**''प्रमाणित''**
6.	क्या उक्त दुर्घटना आवेदक/आहत के स्वयं की उपेक्षा व लापरवाही के कारण घटित हुयी?	**''अप्रमाणित''**
7.	क्या आवेदक, कारित दुर्घटना में क्षतिपूर्ति राशि प्राप्त करने की अधिकारी है, यदि हां तो कितनी व किससे ?	**हां, कंडिका 42 के अनुसार**
8.	सहायता एवं व्यय ?	**कंडिका 42 के अनुसार दावा आंशिक स्वीकार**

—: सकारण निष्कर्ष :—

वाद प्रश्न कमांक 1, 2, 3 व 6:—

8. वादप्रश्न कमांक 1, 2, 3 व 6 अंतःसंबधी होने से साक्ष्य की पुनरावृत्ति निवारित करने की दृष्टि से उनका निराकरण एक साथ किया जा रहा है।

9. आवेदिका/आहत प्रेमसिंह (आ.सा.1) ने साक्ष्य के दौरान प्रकट किया है कि 21.06.2022 को वह अपने मित्र न्योगी के साथ स्कूटर से बडे गांव से कुलदीप नर्सरी आ रहा था। स्कूटी को न्योगी चला रहा था और वह पीछे बैठा था। जैसे ही वे लोग आकाशवाणी तिराहे पर पहुंचे तभी डम्पर कमांक एम.पी.07—जी.ए.—5669 का चालक अपने डम्पर वाहन को तेजी व लापरवाही से चलाकर लाया और पीछे से स्कूटर में टक्कर मार दी। टक्कर से वे लोग सडक पर गिर गये और गंभीर रूप से घायल हो गये। आसपास के लोग उसे उठाकर बिरला अस्पताल ले गये। दुघ्र्टना में उसके बांये पैर में फ्रैक्चर हो गया जिसकी सर्जरी की गयी। आज भी उसके बांये पैर की अंगुली काम नहीं करती और वह ठीक से नहीं

चल पाता। दुर्घटना की रिपोर्ट उसके पुत्र कुलदीप ने थाना गोले का मंदिर पर की थी। आहत द्वारा दुर्घटना से उद्भूत आपराधिक प्रकरण के दस्तावेजों की प्रमाणित प्रति प्रदर्श पी–1 लगायत 16 तथा उपचार के दस्तावेज प्रदर्श पी–17 लगायत 55 प्रस्तुत किये हैं।

10. प्रतिपरीक्षा में साक्षी ने इस बात से इनकार किया कि उसके मित्र न्योगी के पास वाहन चलाने का अनुज्ञा पत्र नहीं था। परंतु इस बात को स्वीकार करता है कि उक्त अनुज्ञापत्र प्रस्तुत नहीं किया गया है। वह तथा न्योगी स्कूटर पर जाते समय हेलमेट नहीं पहने थे। जहां पर वह घ टना होना बताता है वहां रोड चौड़ा था, उस समय वहां पर अन्य वाहन भी आ–जा रहे थे। जिस वाहन से घटना होना बताया है वह पीछे की ओर से आ रहा था इस कारण उसने नहीं देखा कि वह कैसे और किस प्रकार आया था। उसने वाहन चालक की तेजी व लापरवाही का कथन अंदाज के आधार पर बताया है। अंत में इस बात से इनकार किया है कि दुर्घटना न्योगी के द्वारा अपने स्कूटर को तेजी और लापरवाही से चलाकर और गलत दिशा में आकर किसी अज्ञात वाहन के साथ टक्कर से घटित हुई थी। शेष प्रतिपरीक्षा में अन्य कोई ऐसे तथ्य नहीं आये हैं जिससे साक्षी द्वारा मुख्यपरीक्षा में अभिकथित तथ्य विपरीत रूप से प्रभावित होते हो।

11. यद्यपि आवेदक द्वारा वाहन को पीछे से आकर टक्कर मारे जाने का कथन किया है और डम्पर चालक की उपेक्षा या उतावलेपन का तथ्य अपने अनुमान पर आधारित होना बताया है, परंतु इतना अवश्य है कि आवेदक जिस वाहन पर सवार था वह दोपहिया वाहन है। पुलिस अभिकरण द्वारा किये गये अनुसंधान में अनावेदक क्र. 1 की उपेक्षा का तथ्य निष्कर्षित करते हुए अभियोगपत्र प्रस्तुत किया गया है जो आवेदक द्वारा अभिकथित तथ्यों की पुष्टि करता है। आवेदक की ओर से अपने मित्र का ड्राइविंग लाइसेंस प्रस्तुत नहीं किया है, परंतु इस तथ्य से ऐसा कुछ निर्धारित नहीं किया जा सकता कि आवेदक के मित्र की लापरवाही से यह दुर्घटना घटित हुई है। आपराधिक प्रकरणों के दस्तावेज भी प्रतिपरीक्षा में अप्रभावित हैं।

12. उपरोक्त प्रस्तुत साक्ष्य के संबंध में निष्कर्ष प्राप्त करने हेतु विद्यमान न्यायनिर्णयों में माननीय मध्यप्रदेश उच्च न्यायालय द्वारा

न्यायदृष्टांत **मनफूल विरूद्ध मेहबूब 2003 (4) एम.पी.एल.जे. 174 डीबी** में यह प्रतिपादित किया गया है कि मोटर दुर्घटना दावा प्रकरणों में साक्ष्य के कठोर नियम लागू नहीं होते है आवेदक को यह प्रमाणित करना होता है तथा वाहन के उपयोग से दुर्घटना हुई जिसमें या तो किसी की मृत्यु कारित हुई या किसी को उपहति कारित हुई यदि आवेदक इतना प्रमाण कर देता है तो यह पर्याप्त है। इन मामलों में यदि संदेह भी हो तो उसका लाभ आवेदक को दिया जाना चाहिए।

13. इसी प्रकार माननीय मध्यप्रदेश उच्च न्यायालय द्वारा न्यायदृष्टांत **अनिल तिवारी विरूद्ध साहिबसिंह 2004 (4) एम.पी.एल.जे. 59** में यह प्रतिपादित किया गया है कि मोटर दुर्घटना दावा प्रकरणों में दांडिक प्रकरण के दस्तावेजों को कठोरता से प्रमाणित करने की आवश्यकता नहीं दांडिक प्रकरण के दस्तावेजों को घटना की पुष्टिकारक साक्ष्य में उपयोग में लिया जा सकता है। इसी प्रकार माननीय मध्यप्रदेश उच्च न्यायालय द्वारा ही **सुरेन्द्र कुमार विरूद्ध श्रीमती यशोदा बाई 2002 ए.सी.जे. 343** के मामले में यह अभिनिर्धारित किया गया है कि जहां पुलिस द्वारा अन्वेषण के उपरांत वाहन चालक के विरूद्ध न्यायालय में अभियोग पत्र प्रस्तुत किया गया है, वहां अधिकरण ऐसे वाहन चालकों को दोषी पा सकता है। प्रश्नगत मामले में भी अभियोजन से संबंधित मामले के दस्तावेज प्रस्तुत किये गये है। जिनमें अन्वेषण उपरांत अभियोग पत्र प्रस्तुत किया गया है। ऐसी स्थिति में आवेदक ने दुघर्टना का जो विवरण दिया है वह स्वीकार किये जाने योग्य है।

14. अनावेदक की ओर से घटना को असत्य होना कहा गया है, परंतु आवेदक जो कि स्वयं घटना का आहत है जिसकी घटना स्थल पर उपस्थिति की प्रत्याभूति अंतर्निहित है, अनावेदक के विरूद्ध विद्वेष होने जैसा कोई तथ्य अभिलिखित नहीं है, जिसके आधार पर यह माना जा सके कि वह वास्तविक व्यक्ति को छोड़कर अनावेदक क्र. 1 के विरूद्ध असत्य कथन करने का कोई कारण बनता हो। उपरोक्त के अलावा साक्षी के द्वारा अभिकथित तथ्य आपराधिक प्रकरण के दस्तावेज प्रदर्श पी—1 लगायत 16 से समर्थित है।

15. घटना की प्रथम सूचना रिपोर्ट प्रदर्श पी—1 घटना दिनांक

21.06.2022 को ही लेख कराई गयी है, जो त्रुटिकर्ता यान एम.पी. 07–जी.ए.5669 के चालक के विरूद्ध लेख की गयी है। इसके अलावा प्रथम सूचना रिपोर्ट में भी त्रुटिकर्ता यान की पहचान के पर्याप्त विवरण समाहित है। जिससे स्पष्ट है कि प्रथम सूचना रिपोर्ट किसी पश्चात्वर्ती सोच पर अवलंबित नहीं है तथा उपरोक्त उल्लिखित न्यायदृष्टांतों से प्राप्त मार्गदर्शन अनुसार आवेदक द्वारा घटना के विषय में अभिकथित तथ्य प्रतिपरीक्षा में अप्रभावित हैं। वहीं पर संपुष्टिस्वरूप दाण्डिक अभियोजन में प्रस्तुत किए गए अन्वेषण के दस्तावेज से परस्पर संपुष्ट हैं।

16. आवेदक के द्वारा बताया गया है कि दुर्घटना के पश्चात् उसे आसपास के लोगों द्वारा बिरला अस्पताल ले जाया गया था जहां उसका उपचार हुआ था। दुर्घटना में उसके बांये पैर में फैक्चर हुआ था। आहत की ओर से प्रस्तुत चिकित्सीय प्रपत्र असत्य रूप से तैयार किये जाने की चुनौती दी गयी है, परंतु उपरोक्त दस्तावेजों का मूल बिरला अस्पताल के रिकॉर्ड कीपर रवि प्रताप अ.सा.–2 द्वारा प्रदर्श पी–56 के रूप में प्रस्तुत किया गया है, जिन पर अविश्वास का कोई कारण विद्यमान नहीं है। इसके अलावा अभियोगपत्र के साथ संलग्न एम.एल.सी. प्रदर्श पी–8 के अनुसार दिनांक 21.06.2022 को रात्रि 08:00 बजे किये गये प्रारंभिक परीक्षण में बांये पैर पर लालिमा और लेसेरेटिड वुण्ड तथा एक अन्य खरोंचनुमा चोट भी विद्यमान होना दर्शाया है। प्रदर्श पी–56 जो कि एडमिशन और डिस्चार्ज का मूल दस्तावेज है, के अनुसार आहत को घटना दिनांक को ही उक्त अस्पताल में भर्ती कराया गया है तथा दिनांक 27.06.2022 तक उपचाररत होना बताया गया है। प्रदर्श पी–56 के डिस्चार्ज में जांच उपरांत यह भी निष्कर्षित किया गया है कि बांये पैर (फुट) की पूरी त्वचा खत्म व नष्ट हुई है।

17. उक्त प्रपत्रों के साथ संलग्न केसशीट में लेफ्ट फुट पर कुरूपता होना दर्शाया है जिसकी स्किन ग्राफि्टंग कर उपचार किया गया है। परंतु चिकित्सीय प्रपत्रों में शरीर के किसी अंग में अस्थिभंग या अस्थिविसंधान होना निष्कर्षित नहीं किया गया है। तथापि किये गये उपचार व पैर में आयी कुरूपता, जो कि त्वचा के पूरी तरह छिल जाने और नष्ट हो जाने से उत्पन्न हुई है और आहत दीर्घकालीन समय तक उपचाररत रहा है जिससे यह स्पष्ट होता है कि वह लंबी अवधि तक

अपने सामान्य कार्य नहीं कर पाया। अतः चोट की प्रकृति गंभीर होना प्रकट होता है। आवेदक ने उक्त चोटों के फलस्वरूप अपने सामान्य काम–काज करने में स्वयं का असमर्थ होना बताया है, परंतु अभिलेख पर ऐसी कोई साक्ष्य प्रस्तुत नहीं की है कि आहत को उपरोक्त चोटों के फलस्वरूप स्थाई निर्योग्यता कारित हुई हो।

18. अनावेदक के यह अभिवचन है कि कारित दुर्घटना स्वयं आवेदक की लापरवाही से घटित हुई है। इस संबंध में यह उल्लेखनीय होगा कि अनावेदक क्र. 1 व 2 के द्वारा इस संबंध में अपनी ओर से कोई साक्ष्य प्रस्तुत नहीं की गयी है। यद्यपि आवेदक की प्रतिपरीक्षा में यह तथ्य परिलक्षित हुआ है कि आवेदक जिस स्कूटी से जा रहा था, उसके चालक न्योगी का अनुज्ञप्ति पत्र प्रस्तुत नहीं किया है। यह भी कि आवेदक वाहन पर हैलमेट लगाये नहीं बैठा था, परंतु उक्त दोनों ही तथ्य ऐसे नहीं है कि इनके कारण घटना में आवेदक पक्ष की योगदायी उपेक्षा का तथ्य निर्धारित किया जा सके। आहत को कारित चोटें पैर में है, न कि मस्तिष्क के किसी भाग में। अभिलेख पर ऐसा भी कोई तथ्य प्रकट नहीं हुआ है कि स्कूटी चालक न्योगी वाहन को गलत दिशा में अथवा बीच सड़क पर उपेक्षापूर्वक चालन कर रहा था। इस संबंध में डम्पर का चालक एक योग्य साक्षी हो सकता था, परंतु अनावेदकगण द्वारा उसे साक्षी के रूप में प्रस्तुत नहीं किया गया है, अतः एक विपरीत उपधारणा अनावेदक के पक्ष में की जावेगी। इस बाबत न्यायदृष्टांत **म.प्र. राज्य सड़क परिवहन विभाग विरूद्ध वैजन्ती 1995 ए.सी.जे. 560 (एम.पी.)** तथा **चंदा देवी विरूद्ध राजेन्द्र सिंह 2004 ए.सी.जे. 634 एम.पी.** अवलोकनीय है।

19. इस प्रकार आवेदक की साक्ष्य तथा आपराधिक मामलों के दस्तावेजी साक्ष्य के आधार पर आवेदक द्वारा घटना के संबंध में दी गई साक्ष्य विश्वसनीय प्रतीत होती है। अतः उपरोक्त विवेचना के आधार पर आवेदक अधिसंभाव्यता की प्रबलता में यह सिद्ध करने में सफल रहा है कि दुर्घटना दिनांक 21.06.2022 को महाराजा गेट रेल्वे स्टेशन रोड, जिला ग्वालियर में अनावेदक कमांक–1 द्वारा यान डम्फर कमांक एम.पी. 07–जी.ए.–5669 के उपयोग में कारित हुई, उक्त दुर्घटना अनावेदक क्र. 1 द्वारा उक्त यान को उपेक्षा या उतावलेपन से चालन के फलस्वरूप कारित हुई एवं उक्त दुर्घटना में आई चोटों के कारण आवेदक/आहत को गंभीर

प्रकृति की चोटें कारित हुई। परन्तु यह प्रमाणित नहीं होता है कि उक्त दुर्घटना आवेदक/आहत के स्वयं की उपेक्षा व लापरवाही के कारण घटित हुयी। अतः वाद प्रश्न क्रमांक–1, 2 व 3 का निष्कर्ष **"प्रमाणित"** एवं वाद प्रश्न क्रमांक–6 का निष्कर्ष **"अप्रमाणित"** के रूप में अभिलिखित किया जाता है।

वाद प्रश्न क्रमांक 4 व 5 :–

20. वाद प्रश्न क्रमांक 4 एवं 5 अंतः संबंधित है अतः उन पर साक्ष्य की पुनरावृत्ति निवारित करने की दृष्टि से उनका निराकरण एक साथ किया जा रहा है।

21. प्रश्नगत वाहन के घटना दिनांक को बीमित होने के संबंध में कोई भी चुनौती साक्षी को नहीं दी गई है। अनुसंधान के दौरान संकलित, पुलिस थाने की ओर से प्रस्तुत दस्तावेजों में जब्ती पत्रक प्रदर्श पी–03 के द्वारा वाहन क्रमांक एम.पी.07–जी.ए.–5669 को एवं उक्त त्रुटिकर्ता यान के रजिस्ट्रेशन, बीमा पॉलिसी एवं चालक सुनील कुमार के ड्राइविंग लाइसेंस की छायाप्रतियां जब्त की गयी है, जो अभियोग पत्र के साथ संलग्न दस्तावेजों में अभिलेख पर विद्यमान हैं। अनावेदक बीमा कंपनी की ओर से भी बीमा पॉलिसी की सत्यापित प्रतिलिपि प्रस्तुत की गयी है। उक्त बीमा पॉलिसी के अनुसार उपरोक्त त्रुटिकर्ता यान नेशनल इंश्योरेंस कंपनी के पास दिनांक 01.10.2021 से 30.09.2022 तक तृतीय पक्ष के जोखिम हेतु बीमित होना दर्शाया है।

22. अनावेदक क्रमांक–3 की ओर से अपनी प्रतिरक्षा के लिखित कथन में यह कहा गया है कि चालक के द्वारा बीमा की शर्तो के उल्लंघन में वाहन चलाया जा रहा था। इस तथ्य का सिद्धी भार विशुद्धतः अनावेदक पर है इस संबंध में अनावेदक बीमा कंपनी की ओर से कंपनी के प्रशासनिक अधिकारी सुरेश कुमार अना.सा.–1 को परीक्षित कराया है जो अपनी साक्ष्य में बताते हैं कि वह नेशनल इंश्योरेन्स कंपनी लिमिटेड, टी.पी. हब ग्वालियर में प्रशासनिक अधिकारी के पद पर पदस्थ है तथा कंपनी की ओर से उक्त प्रकरण में साक्ष्य देने हेतु अधिकृत है।

23. साक्षी ने आगे यह बताया है कि उनकी बीमा कंपनी के द्वारा वाहन क्र. एमपी 07 जीए 5669 डंफर ट्रक का बीमा दिनांक 01.10.2021 से 30.09.2022 तक के लिए नगर निगम ग्वालियर के नाम से बीमा पॉलिसी की शर्तो एवं मोटर यान अधिनियम के प्रावधानों के अधीन मिसलेनियस एण्ड स्पेशल टाईप ऑफ व्हीकल–लायबिलिटी ओनली पॉलिसी बीमा धारी द्वारा मय नियम एवं शर्तो के अधीन जारी करवायी गयी थी। बीमा पॉलिसी की सत्यापित प्रति प्रदर्श डी–01 है, जिसमें 01 लगायत 08 पृष्ठ है तथा ए से ए भाग पर उसके हस्ताक्षर तथा बीमा कंपनी की सील मुद्रा अंकित है एवं पृष्ठ 02 पर ड्राईविंग लायसेंस संबंधी शर्त का वर्णन बी से बी भाग पर है तथा पृष्ठ 07 के सी से सी भाग में परमिट संबंधी शर्त का उल्लेख है।

24. साक्षी ने आगे बताया है कि उक्त प्रकरण में बीमित वाहन डंफर को चला रहे चालक के पास दुर्घटना दिनांक को वैद्य एवं प्रभावशील परिवहन श्रेणी का ड्रायविंग लायसेंस नही था एवं वाहन को बिना किसी परमिट व फिटनेस के संचालित किया जा रहा था। उनकी बीमा कंपनी के द्वारा बीमा धारी को सूचना पत्र प्रेषित कर वाहन के दस्तावेजात मांगे गये, किन्तु उनके द्वारा पत्रों के उत्तर देने के बाबजूद कोई परमिट, फिटनेस के दस्तावेज प्रदाय नहीं किये गये। प्रेषित सूचना पत्र प्रदर्श डी–02, जिसकी पोस्टल रसीद प्रदर्श डी–03 है, पुनः प्रेषित सूचना पत्र प्रदर्श डी–04 है, जिसकी पोस्टल रसीद प्रदर्श डी–05 है, बीमा धारक द्वारा दिया गया उत्तर प्रदर्श डी–06 है, जिसके बाद पुनः भेजा गया पत्र प्रदर्श डी–07 है, जिसकी पोस्टल रसीद प्रदर्श डी–08 है तथा पुनः बीमा धारक द्वारा दिया गया उत्तर प्रदर्श डी–09 है, जिसमें भी वाहन के परमिट, फिटनेस प्रदाय नहीं किये गये है।

25. अना.सा.–1 द्वारा आगे यह भी बताया गया है कि उक्त प्रकरण में बतायी गयी घटना के संबंध में एक अन्य प्रकरण क्र. 1181/2022 सरबिन्दु बनाम कमिश्नर ग्वालियर नगर निगम ग्वालियर आदि में उनकी बीमा कंपनी के द्वारा अनावेदक साक्ष्य के दौरान फिटनेस शाखा, परमिट शाखा एवं ड्राईविंग लायसेंस शाखा आरटीओ कार्यालय ग्वालियर के कथन कराये गये थे, जिनके द्वारा अपने कथनों में रिकॉर्ड प्रस्तुत करते हुये वाहन चालक का ड्राईविंग लायसेंस वैद्य एवं प्रभावी न

होना वाहन को बिना किसी परमिट व फिटनेस के चलाया जाना कथित किया गया था। राजीव उपाध्याय, सहायक ग्रेड–03 आरटीओ कार्यालय ग्वालियर का न्यायालयीन कथन प्रदर्श डी–10 है, हरीश आर्य सहायक ग्रेड–02 आरटीओ कार्यालय ग्वालियर का न्यायालयीन कथन प्रदर्श डी–11 तथा अरूण कुमार तिवारी सहायक ग्रेड–02 आरटीओ कार्यालय ग्वालियर का न्यायालयीन कथन प्रदर्श डी–12 है। इस प्रकार बीमित वाहन को बिना किसी वैद्य प्रभावी लायसेंस, फिटनेस एवं परमिट न होने के कारण बीमा पॉलिसी की शर्तो का उल्लंघन होने से उनकी कंपनी प्रकरण में किसी भी क्षतिपूर्ति हेतु उत्तरदायी नहीं है। वाहन चालक के संबंध में आरटीओ कार्यालय से प्राप्त सत्याप्रित डी.एल प्रदर्श डी–13 एवं फिटनेस प्रदर्श डी–14 है।

26. साक्षी के द्वारा मुख्यपरीक्षा में अभिकथित उपरोक्त तथ्य तथा उपरोक्त दस्तावेज प्रतिपरीक्षा में अप्रभावित है। यद्यपि साक्षी इस बात को स्वीकार करता है कि नगर निगम जो कि स्थानीय निकाय है, के कुछ वाहनों को परमिट की छूट प्राप्त है और यह भी कि कारित दुर्घटना नगर निगम सीमा क्षेत्र में ही हुई है, परंतु स्वामी को भेजे गये सूचनापत्र निर्वाहित नहीं हुए और सूचना के निर्वहन उपरांत भी वाहन स्वामी द्वारा फिटनेस, परमिट और वैध अनुज्ञप्ति–पत्र प्रस्तुत न किये जाने के संबंध में अभिकथित तथ्य पूर्णतः अखंडित है। चूंकि त्रुटिकर्ता यान एक ट्रांसपोर्ट यान है और चालक के द्वारा धारित अनुज्ञप्ति पत्र ट्रांसपोर्ट वाहन हेतु अनुज्ञप्ति की वैधता दिनांक 29.07.2021 तक है और नॉन ट्रांसपोर्ट श्रेणी के व्हीकल हेतु दिनांक 23.03.2023 तक की वैधता है।

27. इस प्रकार अनावेदक क्र. 1 सुनील घटना दिनांक 21.06. 2022 को त्रुटिकर्ता यान डम्पर को चलाने के लिए वैध एवं प्रभावी लाइसेंस धारित नहीं करता था। इसी प्रकार फिटनेस का भी अभाव वाहन के चलाये जाने के समय रहा है, जो कि बीमा पॉलिसी की शर्तों के उल्लंघन को प्रमाणित करता है। उपरोक्त विवेचना के फलस्वरूप यह प्रमाणित होता है कि दुर्घटना दिनांक को त्रुटिकर्ता वाहन दुर्घटना जोखिम के लिये बीमित था एवं उक्त यान को बीमा शर्तों के उल्लंघन में चलाया जा रहा था। अतः वादप्रश्न क्रमांक–4 व 5 का निष्कर्ष **"प्रमाणित"** के रूप में अभिलिखित किया जाता है।

वाद प्रश्न क्रमांक 7:–

28. उपरोक्त वाद विषय के संबध में मोटरयान अधिनियम के तहत दुर्घटना में आई चोटों के मामलों में आवेदक/दावाकर्ता को जो क्षतिपूर्ति प्रदत्त की जाती है उसके संबध में न्यायालय द्वारा पूर्ण प्रतिकर के संबध में निम्नांकित तथ्यों पर विचार किया जाता है–

1. आय में होने वाली कमी।
2. उपचार में होने वाले व्यय जिसमें चिकित्सीय व्यय, यातायात व्यय, विशेष आहार, सहायक व्यय आदि।
3. जीवन का आनंद कम होने या समाप्त होने।
4. भविष्य में होने वाली आय से वंचित होना।

29. दुर्घटना के कारण होने वाली क्षति के संबध में माननीय सर्वोच्च न्यायालय के न्यायदृष्टांत **आर.डी. हथकंडी बनाम पेस्ट कन्ट्रोल इंडिया प्रायवेट लिमिटेड 1995 ए.सी.जे. 366(एस.सी.)** में यह मत दिया गया है कि क्षतिधन इस प्रकार का हो सकता है– पहला मौद्रिक एवं दूसरा अमौद्रिक। मौद्रिक क्षति की गणना धन से की जा सकती है तथा अमौद्रिक क्षति की गणना गणितीय रूप से नहीं की जा सकती है। मौद्रिक क्षति में मेडिकल अटेंडेन्ड, आय में होने वाली क्षति एवं अन्य मटेरियल क्षति शामिल है। अमौद्रिक क्षति में दुर्घटना के समय एवं पश्चात् दुर्घटना के कारण मानसिक एवं शारीरिक पीड़ा एवं कष्ट, दुर्घटना से जीवन के सुख से वंचित होना इत्यादि सम्मिलित है।

चिकित्सा व्यय संबधी प्रतिकर–

30. आवेदक को दुर्घटना में कारित हुई चोटों के उपचार हेतु व्यय की गई राशि के संबंध में आवेदक ने बताया है कि उपचार में लगभग एक लाख रुपये खर्च हुए थे, इस तथ्य के समर्थन में आवदक द्वारा प्रदर्श पी–17 लगायत प्रदर्श पी–55 के दस्तावेज प्रस्तुत किये गये हैं। उक्त दस्तावेजों में प्रदर्श पी–17, 18, 20, 22, 24, 27, 28, 30, 32, 34, 37, 38, 41, 43, 55 दवाईयों के बिल हैं जिनका योग 7,996/–रुपये होता है। तथा प्रदर्श पी–45 लगायत प्रदर्श पी–51 केवल

भुगतान की रसीदें है, परंतु इनके बाबत कोई फाइनल बिल प्रस्तुत नहीं किया गया है। साक्षी को यह चुनौती दी गयी है कि उसने किसी योजना के अधीन राशि की प्रतिपूर्ति प्राप्त कर ली है इसलिए मूल बिल प्रस्तुत नहीं किया है। यद्यपि साक्षी ने इस तथ्य से इनकार किया है किंतु यह अवश्य है कि साक्षी ने मूल बिल प्रस्तुत करने का कोई कारण नहीं बताया है। अतः केवल भुगतान की रसीदों के आधार पर प्रदर्श पी–45 लगायत 51 में उल्लेखित राशि आवेदक को प्रतिपूर्ति स्वरूप नहीं दिलाई जा सकती।

31. इसके अतिरिक्त प्रदर्श पी–52 व प्रदर्श पी–54 एक ही बिल हैं, अतः दोनों में से केवल एक ही बिल का भुगतान किया जा सकता है, जिसमें 3500/–रुपये की राशि व्यय की जाना दर्शाया गया है तथा शेष दस्तावेज प्रिस्क्रप्सन है। इन दस्तावेजों के द्वारा चिकित्सा में खर्च किये गये व्यय को योग करने पर यह दर्शित होता है कि आवेदक द्वारा चिकित्सा एवं दवाईयों में कुल **11,496/– रुपये (ग्यारह हजार चार सौ छियानवे रुपये)** खर्च किये गये।

<u>पौष्टिक आहार के संबंध में प्रतिकर–</u>

32. पौष्टिक आहार के लिये आवेदक को दुर्घटना में आई चोटों के परिप्रेक्ष्य में उल्लेखनीय है कि आहत/आवेदक बिरला अस्पताल में दिनांक 21.06.2022 से 27.06.2022 तक कुल 7 दिन भर्ती रहकर उपचाररत रहा है। अतः लगभग 7 दिवस आहत को विशेष आहार की आवश्यकता रही होगी। अतः पौष्टिक आहार के मद में प्रतिदिन 500/– रूपये के मान से आवेदक को **3500/–रुपये (तीन हजार पांच सौ रुपये)** राशि दिलाया जाना उचित होगा।

<u>शारीरिक एवं मानसिक पीड़ा के संबंध में प्रतिकर–</u>

33. आवेदक को दुर्घटना के परिणामस्वरूप बांये पैर में गंभीर उपहति कारित हुई है। आवेदक के शरीर पर आई चोटों के परिणामस्वरूप इस उपचार की अवधि में उसे शारीरिक व मानसिक पीड़ा भी सहन करना होगी। अतः शारीरिक एवं मानसिक पीड़ा के मद में आवेदक को **50,000/–रुपये (पचास हजार रुपये)** की राशि प्रतिकर के रूप में दिलाई

जाना उचित होगा।

यातायात क्षति व्यय के संबध में प्रतिकर–

34. इस संबध में आवेदक के द्वारा व्यय की गई राशि के बाबत् कोई दस्तावेज प्रस्तुत नहीं किये है तथापि आवेदक को उपचार हेतु अस्पताल ले जाया गया है एवं वह भर्ती रहकर उपचाररत रहा है। अतः आने–जाने में यातायात में राशि व्यय की जाना निश्चित दर्शित होता है। अतः अनुमानित रूप से इस मद में आवेदक को **5000/–रुपये (पांच हजार रुपये)** दिलाया जाना उचित प्रतीत होता है।

सहायक व्यय के संबध में प्रतिकर–

35. आवेदक उपचार के दौरान 7 दिन तक भर्ती रहा है। अतः न्यूनतम 7 दिवस की अवधि तक उसे निश्चित ही सहायक की भी आवश्यकता हुई होगी। ऐसी दशा में आवेदक को सहायक व्यय प्रतिदिन 300/– रूपये के मान से **2100/–रुपये (दो हजार एक सौ रुपये)** दिलाया जाना उचित होगा।

जीवन के आनंद की क्षति के संबंध में प्रतिकर–

36. जीवन के आनंद की क्षति के संबंध में उल्लेखनीय है कि आवेदक को कारित चोटों से उसे स्थाई प्रकृति की विकलांगता का कोई प्रमाण विद्यमान नहीं है, अतः इस मद में आवेदक को कोई राशि दिलाया जाना उचित नहीं होगा।

उपचार के दौरान आय से वंचित होने के संबंध में प्रतिकर–

37. आवेदक का उपचार बिरला अस्पताल में भर्ती रहकर 7 दिन चलता रहा तथा उसकी शल्यक्रिया ग्राफ्टिंग की गयी है। आहत को कारित उपरोक्त पैर की चोटों के पश्चात् वापिस कार्य योग्य होने में तीन से छः माह का समय सामान्यतः लगना संभावित है। आवेदक प्रेमसिंह कुशवाह द्वारा साक्ष्य में प्रकट किया है कि वह नर्सरी का संचालन करता था और उक्त कार्य से प्रतिमाह लगभग एक लाख रुपये आय अर्जित करता था, परंतु आवेदक ने इस तथ्य के निर्धारण हेतु कोई भी दस्तावेज/प्रमाण अभिलेख पर प्रस्तुत नहीं किया है। तथापि आवेदक

कार्यशील होना दर्शित होता है। अतः एक मजदूर की न्यूनतम आय आवेदक की आय मानी जा सकती है।

38. कार्यालय कलेक्टर, जिला ग्वालियर, के आदेश क्र 4944 पारित दिनांक 11.04.2022, जो दिनांक 01.04.2022 से 30.09.2022 तक प्रभावी है, उसमें अकुशल श्रमिक की दैनिक मजदूरी 304/रुपए प्रतिदिन निर्धारित की गई है। कार्य मिलने अथवा न मिलने की संभावना के दृष्टिगत 24 दिवस के कार्यदिवसों के अनुरूप 304/–रुपये प्रतिदिन की दर से मासिक 7,296/–रुपए की प्रतिमाह आय आवेदक को अर्जित किए जाने का अनुमान लिया जा सकता है। उपरोक्त चोट के पश्चात पुनः काम पर उपस्थित होने की अवधि के मध्य आवेदक को आय से वंचित होना पड़ा होगा। अतः उपचार के दौरान आय से वंचित होने के मद में माह 3 गुणे 7,296/– कुल **21,888/–रुपये (इक्कीस हजार आठ सौ अठासी रुपये)** की राशि प्रदान किया जाना उचित होगा।

39. उपरोक्तानुसार आवेदक समस्त मद में निम्नानुसार प्रतिकर राशि पाने का पात्र है।

क्रमांक	**मद**	**प्रतिकर की राशि**
1.	चिकित्सीय व्यय में	11,496/–रुपये
2.	पौष्टिक आहार व्यय में	3500/–रुपये
3.	शारीरिक व मानसिक पीड़ा	50,000/–रुपये
4.	यातायात व्यय में	5000/–रुपये
5.	सहायक के व्यय में	2100/–रुपये
6.	उपचार के दौरान आय से वंचित होने के मद में	21,888/–रूपए
	योग–	**93,984/–रुपये (तेरानवे हजार नौ सौ चौरासी रुपये)**

<u>वाद प्रश्न क्रमांक 7, सहायता एवं व्यय</u>

40. उपरोक्तानुसार वाद प्रश्न क्रमांक 01 से 07 पर लिखे गए निष्कर्ष के परिणामस्वरूप आवेदक प्रेमसिंह कुशवाह, अनावेदकगण के विरूद्ध आंशिक रूप से अपना दावा प्रमाणित करने में **'सफल'** रहा है।

41. परंतु वाद विषय क्रमांक 5 के निष्कर्ष में यह तथ्य प्रमाणित हुआ है कि त्रुटिकर्ता यान को बीमा की शर्तों के उल्लंघन में परिचालित किया जा रहा था। उक्त स्थिति के संबंध में अनावेदक बीमा कंपनी द्वारा यह तर्क किया गया है कि यह मामला ''पे एण्ड रिकवर'' की श्रेणी में नहीं आयेगा, क्योंकि माह अप्रैल 2022 में मोटरयान अधिनियम में संशोधन कर पूर्व की धारा को परिवर्तित कर दिया गया है। नवीन संशोधन के फलस्वरूप पूर्ववर्ती धारा– 149 की उपधारा– 4 का परन्तुक, को संशोधन कर विलोपित किया गया है।

42. उपरोक्त तर्क के संबंध में यह उल्लेखनीय होगा कि माननीय उच्च न्यायालय मप्र द्वारा न्यायदृष्टांत **चोलामण्डलम जनरल इंश्योरेंस कंपनी लिमिटेड विरूद्ध मुन्नी बाई व अन्य 2021 ए.सी.जे. 821** के मामले में उक्त प्रश्न को विचार में लेते हुए यह अवधारित किया गया है कि किसी पॉलिसी का उल्लंघन बीमा कंपनी और बीमा धारक के बीच का मामला है और इसके लिए तृतीय पक्ष विपरीत रूप से प्रभावित नहीं होगा। यह भी कहा गया कि **नेशनल इंश्योरेंस कंपनी लिमिटेड विरूद्ध सवर्ण सिंह 2004 ए.सी.जे. 1 एस.सी.** में प्रतिपादित सिद्धांत वर्तमान में भी प्रभावी है। इस प्रकार बीमा की शर्तों के उल्लंघन की दशा में भुगतान करें और वसूल करें, का सिद्धांत प्रभावी होगा, जिसके आलोक में बीमा कंपनी क्षतिधन आवेदकगण को अदा कर भुगतान की गई राशि अनावेदक क्रमांक–1 व 2 से वसूल कर सकती है। अतः दावा आंशिक रूप से स्वीकार कर निम्नानुसार अवार्ड पारित किया जाता हैः–

1.	अनावेदकगण संयुक्ततः एवं पृथकतः अनावेदक क्रमांक–3 के भुगतान के प्राथमिक दायित्व के अधीन आवेदक को क्षतिपूर्ति राशि 93,984/–रुपये (तेरानवे हजार नौ सौ चौरासी रुपये) 30 दिवस के भीतर अदा करें।
2.	अनावेदकगण संयुक्ततः एवं पृथकतः अनावेदक क्रमांक–3 के भुगतान के प्राथमिक दायित्व के अधीन आवेदक को क्षतिपूर्ति राशि 93,984/–रुपये (तेरानवे हजार नौ सौ चौरासी रुपये) क्लेम आवेदन पत्र प्रस्तुती दिनांक 13.09.2022 से अदायगी दिनांक तक 6 प्रतिशत वार्षिक ब्याज की दर से राशि अदा करे। 30 दिवस की

	अवधि के भीतर राशि जमा न करने पर अधिनिर्णय पारित करने से अधिकरण के बैंक खाते में प्रतिकर राशि जमा करने तक की अवधि के लिये 9 प्रतिशत वार्षिक ब्याज दर से अदा करेगा।
3.	आवेदक द्वारा उपचार में राशि व्यय की गयी है एवं त्वरित आवश्यकता को दृष्टिगत रखते हुए क्षतिपूर्ति की संपूर्ण राशि 93,984/—रुपये (तेरानवे हजार नौ सौ चौरासी रुपये) उसके किसी राष्ट्रीयकृत बैंक के खाते के माध्यम से नगद अदा किये जावे।
4.	उक्त क्षतिपूर्ति राशि के संबध में अदा किये जाने वाले संपूर्ण ब्याज की राशि किसी राष्ट्रीयकृत बैंक खाते के माध्यम से आवेदक को नगद अदा की जावे।
5.	अंतरिम प्रतिकर की राशि यदि आवेदक के द्वारा प्राप्त की गई हो तो वह अवार्ड राशि में से समायोजित की जाए।
6.	अनावेदक बीमा कंपनी, प्रतिकर राशि जमा करने के उपरांत निष्पादन प्रकरण के माध्यम से अनावेदक कमांक 1 व 2 से उपरोक्त अधिनिर्णित राशि वसूल कर सकती है।
7.	अनावेदक स्वयं का एवं आवेदक का भी वाद व्यय वहन करेंगें।
8.	अभिभाषक शुल्क नियमानुसार अथवा प्रमाण पत्र अनुसार जो भी कम हो देय होगा।

43. उपरोक्तानुसार व्यय—तालिका बनायी जाए।

ASHISH DAWANDE
Digitally signed by ASHISH DAWANDE
Date: 2026.07.24 16:46:37 +0530

सही/—
(आशीष दवंडे)
सदस्य
बाईसवें मोटर दुर्घटना दावा अधिकरण,
ग्वालियर (म.प्र.)

ग्वालियर,
दिनांक—24.07.2026

व्यय तालिका

विवरण	व्यय		
	आवेदक	अनावेदक कमांक	
		2	3
1. क्लेम दावा पर न्याय शुल्क	30	—	—
2. बकालतनामा पर न्याय शुल्क	10	10	10
3. आवेदनपत्र व शपथपत्रों पर न्याय शुल्क	65	35	30
4. अभिभाषक शुल्क	1000/—	1000/—	1000/—
5. कमिश्नर फीस	600	—	—
6. तलबानों पर न्याय शुल्क	55	—	—
योग	**1760/—**	**1045/—**	**1040/—**

ASHISH DAWANDE

Digitally signed by ASHISH DAWANDE
Date: 2026.07.24 16:46:50 +0530

(आशीष दवंडे)
सदस्य
बाईसवें मोटर दुर्घटना दावा अधिकरण
जिला ग्वालियर (म.प्र.)